

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2526] No. 2526] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 21, 2016/आश्विन 29, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 21, 2016/ASVINA 29, 1938

## श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2016

का.आ.3261 (अ).- केंद्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 36ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी समनुषंगियों के संबंध में यह समाधान हो जाने पर कि शीर्षस्थ स्तर पर, समनुषंगी स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और एकक स्तर पर प्रतिष्ठापनों में नियोजित कर्मकारों के संबंध में औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और निपटान के लिए पर्याप्त उपबंध विद्यमान हैं, कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी समनुषंगियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 के उपबंधों से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के लिए छूट प्रदान करती है।

[फा.सं. एस-11014/2/2011-आईआर(पीएल)]

राजीव अरोड़ा. संयक्त सचिव

# MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2016

**S.O. 3261 (E).**— In exercise of the powers conferred by section 36B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government, on being satisfied in relation to the Coal India Limited and its subsidiaries, that adequate provisions exist at the apex level, subsidiary level, area level and unit level for the investigation and settlement of industrial disputes in respect of workmen employed in the establishments, hereby exempts the Coal India Limited and its Subsidiaries from the provisions of section 3 of the Industrial Disputes Act, 1947 for a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F.No. S-11014/ 2/2011 – IR (PL)] RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

4947 GI/2016